<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–2, मुरादाबाद।</u>

पीठासीन अधिकारी– (कृष्ण कुमार सिंह), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP06386

<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–892/2026</u>

1– मोनू कातिया, पुत्र स्व० कृष्ण कुमार, निवासी ओ०बी०डी० स्कूल सूरजनगर, थाना–कटघर, जिला मुरादाबाद,

----- प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य-----------------------वादी/अभियोजन पक्ष।

मु0 अ 0 सं0–87/2026
धारा–8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट
थाना–कटघर, जिला मुरादाबाद।

<u>जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण</u>

<u>28.03.2026</u>

1– प्रार्थी/अभियुक्त मोनू कातिया की ओर से न्यायालय में यह जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त अभियोग के अन्तर्गत जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 24.02.2026 को वादी मुकदमा उ 0 नि0 अनंगपाल एवं उनके अन्य साथी पुलिस कर्मचारीगण ने, थाना–कटघर, जिला–मुरादाबाद के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, स्थान–मिलक कल्याणपुर अंडरपास पर समय करीब 04.19 बजे प्रार्थी/अभियुक्त मोनू कातिया को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 496 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई, जिसको रखने का प्रार्थी/अभियुक्त के पास कोई लाइसेंस नहीं था। इसके पश्चात्, बरामद माल को सील सर्वे मोहर किया गया, नमूना मोहर बनाया गया, गिरफ्तारी मीमो तैयार किया गया व प्रार्थी/अभियुक्त को थाने लाकर उसके विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण दर्ज कराया गया।

3– विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से 496 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये।

4– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी पूर्व में सजायाफ्ता नहीं है। प्रार्थी को दिनांक 24.02.2026 को घर से उठाया है। प्रार्थी दिनांक 25.02.2026 से जिला जेल मुरादाबाद में निरूद्ध है। मौके पर कोई खरीददार नहीं है। प्रार्थी के पास से 496 ग्राम चरस बरामद दिखाई गई है जो वार्णिज्यिक मात्रा नहीं है। कथित चरस की कोई एक्सपर्ट रिपोर्ट नहीं है। प्रार्थी के पास से फर्जी बरादमगी दिखाई गई है। घटना का कोई आजाद गवाह नहीं है। प्रार्थी न तो विवेचना में बाधा डालेगा और न ही साक्षीगण को किसी प्रकार से तोड़ने का प्रयास करेगा। अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि दौराने मुकदमा प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना एवं थाने की रिपोर्ट तथा उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

Digitally signed by KRISHNA KUMAR SINGH
Date: 2026.03.28 14:27:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6. अभियोजन कथानकानुसार प्रार्थी/अभियुक्त पर घटना की दिनांक, समय व घटनास्थल से 496 ग्राम अवैध चरस बरामद किये जाने का आरोप है। फर्द बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 25.02.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त से बरामद चरस वाणिज्यिक मात्रा से कम के अन्तर्गत आती है। अतः प्रकरण तथा परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक की जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार है, तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्राथी/अभियुक्त मोनू कातिया द्वारा उपरोक्त अभियोग के अन्तर्गत प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा रुपए 1,00,000-1,00,000/- की धनराशि के दो प्रतिभूण एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर निष्पादित करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रार्थी / अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए कि-

1- प्रार्थी / अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः संलिप्त नहीं होगा।

2- प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।

3- प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अभियोजन साक्षीगण को न डराएंगा ओर न ही धमकाएगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा।

4- प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।

दिनांकः 28-03-2026

(कृष्ण कुमार सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-2, मुरादाबाद।